

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अदालत सेवा केन्द्र - रायपुर महेश्वर

प्रकरण सं:- 188/2018

दिनांक:- 12/6/18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1414

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जुना भीम खोडा व
 मू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार
 सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136
 के अनुसरण में ग्राम भाटा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत्
2071-74 में खाता संख्या 141 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया
 जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	भाटा	141	4, 5, 24।।	मोरो देरी पाल्नी डीकमसिंह	मोरो केवर पाल्नी डीकमसिंह शेष बद्रुस्तार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
 सहायक कलक्टर, सिणधरी
 दिनांक:- 12/6/18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1415.1417

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोरो केवर निवासी भाटा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
 सहायक कलक्टर, सिणधरी